रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10022020-216041
SG-DL-E-10022020-216041

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 366

No. 10] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941 [N.C.T.D. No. 366

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

सं.फा. 16(577)/श.वि./डब्ल्यू/2016/166.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 30 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या फा0 09/8/81–एलएसजी/2430 द्वारा अधिसूचित **डिस्पैच राइडर** क भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड में **डिस्पैच राइडर** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(क) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड डिस्पैच राइडर भर्ती विनियम, 2019 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं.—**उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.—**ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शाक्ति.—**जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.—** इन विनियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**डिस्पैच राइडर**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 * (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'ग'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 से 27 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **नोटः**–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्यः**– (1) मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10 कक्षा उत्तीर्ण (2) मोटर मैकेनिजम के ज्ञान सहित हल्के मोटर वाहन/मोटर साइकिल चलाने हेतु वैध लाइसेंस होना चाहिए। **वांछनीयः**–

			दिल्ली और नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की अच्छी जानकारी **नोटः**– उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाले ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयुः नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः**– मोटर मैकेनिजम की जानकारी और हल्के वाहन/मोटर साइकिल चलाने के अनुभव के साथ हल्के वाहन/मोटर साइकिल वाहन चलाने के लिये वैध लाइसेंसधारी नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 (18000–56900/–रुपये) में दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत श्रेणी ''ग'' कर्मचारी। **नोटः** उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
13.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. निदेशक (प्र0 एवं का0) – अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (राजस्व)– सदस्य 3. ए.सी. (जल) – सदस्य
14.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

हरजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2020

No.16(577)/UD/W/2016/166.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Recruitment regulation for the post of Dispatch Rider notified vide Delhi Administration Notification No. F 9/8/81-LSG-2430 dated 30th March, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority for regulating the method of recruitment to the post of Dispatch Rider in Delhi Water Board, are hereby published, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board Dispatch Rider Recruitment Regulations, 2019.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4 Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF POST	NUMBER OF POSTS	CLASSIFICATION	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DISPATCH RIDER.	01* (2019) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORK LOAD.	CATEGORY 'C' .	LEVEL 2 (RS.19900 - 63200) IN THE PAY MATRIX.	SELECTION.	BETWEEN 18 TO 27 YEARS (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS AND THE EMPLOYEES OF THE DELHI JAL BOARD UP TO 5 YEARS ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). **<u>NOTE :-</u>** THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT

					THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PARDESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB-DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION, IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS
7.	8.	9.	10.
ESSENTIAL :- (1). 10TH PASS FROM A RECOGNIZED SCHOOL/ BOARD/ UNIVERSITY. (2). SHOULD POSSESS A VALID LICENSE FOR DRIVING LIGHT MOTOR VEHICLE/ MOTOR-CYCLE WITH KNOWLEDGE OF MOTOR MECHANISM. **DESIRABLE:-** FAMILIARITY WITH SURROUNDING OF DELHI AND NEW DELHI. **NOTE :-** THE CANDIDATE SHALL HAVE TO PASS A TRADE TEST TO BE CONDUCTED BY THE APPOINTING AUTHORITY.	AGE : NO EDUCATION : YES QUALIFICATION	TWO YEARS	BY PROMOTION FAILING WHICH BY DIRECT RECRUITMENT.

IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
11.	12.	13.
PROMOTION : CATEGORY 'C' EMPLOYEES WORKING IN DELHI JAL BOARD IN LEVEL- 1 (RS. 18000- 56900) IN THE PAY MATRIX WITH THREE YEARS SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS POSSESSING A VALID LICENSE FOR DRIVING LIGHT VEHICLES/ MOTORCYCLE VEHICLE WITH KNOWLEDGE OF MOTOR MECHANISM AND EXPERIENCE OF DRIVING A LIGHT VEHICLE/ MOTORCYCLE. **NOTE** :- THE CANDIDATES SHALL HAVE TO PASS A TRADE TEST TO BE CONDUCTED BY THE COMPETENT AUTHORITY.	**CATEGORY "C" DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION/ CONFIRMATION) CONSISTING OF:** 1. DIRECTOR(A&P) - CHAIRMAN 2. JOINT DIRECTOR (REVENUE) - MEMBER 3. AC (WATER) - MEMBER.	CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISION IS NOT NECESSARY.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

HARJEET SINGH, Section Officer (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.10 22:13:57 +05'30'